

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
आदेशिका

दिनांक 02.09.2019

परिवाद संख्या 2017/06/5827

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

पत्रावली में आज आदेश पारित किया गया।

सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में डॉक्टर्स की हडताल के समय डॉ. कप्तान सिंह पुत्र श्री हरभान सिंह जाट, निवासी काली माई की बगीची के पास, भरतपुर को दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 की रात्रि के 11.00 बजे स्थानीय पुलिस, पुलिस थाना मथुरागेट द्वारा डॉ. कप्तानसिंह के घर पर गिरफ्तार किया गया व दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 529/2017 में प्रस्तुत किया गया। डॉ. कप्तानसिंह के विरुद्ध अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया इस्तगासा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अतः सम्पूर्ण इस्तगासा इस आदेश में उल्लेखित किया जा रहा है :-

" कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना मथुरा गेट, जिला भरतपुर

क्रमांक 14379

दिनांक 16.12.17

श्रीमान एसडीएम साहब

जिला भरतपुर।

विषय :- इस्तगासा अंतर्गत धारा 107,116(3),151 सीआरपीसी

सरकार बनाम

1. डॉक्टर कप्तान सिंह पुत्र हरभानसिंह जाति जाट उम्र 37 साल निवासी काली माई बगीची के पास थाना अटल बंद भरतपुर।

महोदय,

वाक्यात इस्तगासा हाजा इस प्रकार से है कि आज दिनांक 16.12.17 को समय 12.47 एएम पर मन थानाधिकारी उद्योग नगर भरतपुर वीरेंद्र शर्मा मय जासा हैड कानि. भल्लो सिंह 752, कानि. भगत सिंह 1393, कानि. बच्चू सिंह 1760 मय गिरफ्तार शुदा गैरसायल डॉ. कप्तान सिंह पुत्र श्री हरभानसिंह उम्र 37 साल जाति जाट निवासी काली माई की बगीची के पास भरतपुर के थाना मथुरा गेट भरतपुर पर उपस्थित आया हालात इस प्रकार रहे कि उच्चाधिकारियों के निर्देश अनुसार राजकीय चिकित्सकों की संभावित हड़ताल के मद्देनजर शहर भरतपुर में गश्त व कानून व्यवस्था ड्यूटी एवं चिकित्सकों की संभावित हड़ताल के बारे में जानकारी व सुचारू चिकित्सा व्यवस्था बाबत समझाईस बाबत गश्त के दौरान गोपनीय सूचना मिली कि डॉ. कप्तान सिंह काली माई बगीची के पास रहता है जो चिकित्सकों की हड़ताल के संबंध में अपने निवास पर योजना बना रहे हैं एवं राजकीय चिकित्सा व्यवस्था को ठप्प करने की किसी से बातें कर रहे हैं चूंकि पूर्व में भी राजकीय चिकित्सकों द्वारा की गई हड़ताल के कारण आमजन एवं मरीजों के जीवन को गंभीर संकट उत्पन्न हो चुका है एवं हाल ही में डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान भी चिकित्सा व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय दृष्टिकोण से चिकित्सकों के किए गए स्थानांतरण को भी चिकित्सकों द्वारा बेवजह मुद्दा बनाया जा कर हड़ताल की योजना बनाई जा रही है ऐसे निर्णय से राजकीय चिकित्सा व्यवस्था ठप होने से एवं मरीजों को दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। अतः समझाइश करना उचित एवं आवश्यक समझते हुए थानाधिकारी उद्योग नगर मय हमराही जासा के समय 10-30 पीएम पर चिकित्सक के निवास पर पहुंचा तो डॉक्टर कप्तान सिंह मोबाइल पर जोर-जोर से बातें करते दिखाई दिया जो मोबाइल पर हड़ताल के संबंध में जोर-जोर से बातें कर रहे थे जिनको थानाधिकारी उद्योग नगर मय हमराही जासा द्वारा समझाइश की गई कि इस तरह के कार्य व्यवहार से

आमजन व मरीजों के जीवन गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है आप इस तरह हड़ताल कर चिकित्सा व्यवस्था ठप्प करने की योजना नहीं बनाए ना ही इससे सम्मिलित होवे ना ही ऐसी किसी भी कार्य के लिए किसी अन्य चिकित्सक को दूषप्रेरित करें तो चिकित्सक कप्तान सिंह द्वारा बार-बार इसी बात को दोहराते रहे कि हमने जो ठान लिया है उसको करके ही रहेंगे एवं सारी व्यवस्था ठप्प करेंगे और हम तो अभी और दो-चार डॉक्टरों को एकत्रित कर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को ठप्प कर देंगे बावजूद समझाइश डॉक्टर कप्तान सिंह द्वारा लगातार यही धमकी दी जाने पर चिकित्सक का यह कृत्य अंतर्गत धारा 151 जा. फौ. की तारीफ में आना पाए जाने पर डॉक्टर कप्तान सिंह पुत्र श्री हरभान सिंह उम्र 37 साल जाति जाट निवासी काली माई की बगीची के पास भरतपुर को हस्व कायदा अदम अदखाल गिरफ्तार किया गया तथा गैर सायल डॉ. कप्तान सिंह से फर्द पर हस्ताक्षर करने हेतु कहा गया तो हस्ताक्षर करने से मना किया एवं हस्ताक्षर नहीं किए तत्पश्चात मौके से रवाना होकर गस्त करता हुआ हमराह लेकर उपस्थित आया अगर गैर सायल को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अवश्य ही कोई संगीन घटना को अंजाम देते। जिसका निवारण करने के लिए मौके पर कार्यवाही आवश्यक हो गई थी। अतः गैर सायल उपरोक्त के विरुद्ध इस्तगासा अंतर्गत धारा 107-151 सीआरपीसी में वास्ते सलूक पेश कर निवेदन है कि गैर सायलान को भारी से भारी जमानत मुचलकों से पाबंद फरमाने की कृपा करें जिससे इलाका थाना में शांति रह सके।

सूची गवाहान

1. श्री भल्लो सिंह हैड कानि. 752 थाना उद्योग नगर भरतपुर:-फर्दात
2. श्री भरत सिंह कानि. नंबर 1393 थाना उद्योग नगर भरतपुर:-फर्दात
3. श्री वीरेंद्र शर्मा पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना उद्योग नगर भरतपुर :-
फर्दात
4. राजेश कुमार पाठक थाना मथुरा गेट :- हालात इस्तगासा

तफसील कागजात

असल इस्तगासा -1, फर्द गिरफ्तारी गैर सायल -1, नकल रपट रोजनामचा आम

उपर्युक्त इस्तगासा के साथ सूची गवाह में चार पुलिसकर्मियों के नाम दिये गये थे। जिनमें से तीन पुलिसकर्मी पुलिस थाना उद्योगनगर पर पदस्थापित थे व चौथे गवाह के क्रम पर "राजेश कुमार पाठक थाना मथुरागेट" अंकित है। तफसील कागजात में असल इस्तगासा के साथ फर्द गिरफ्तारी व नकल रपट रोजनामचा आम की प्रतिलिपियां भी संलग्न की गई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) भरतपुर द्वारा उसी दिन आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से डॉ. कप्तान सिंह को कुल 07 जमानती पेश किये जाने, जिनमें से 02 राजकीय कर्मचारियों द्वारा 50,000 की जमानत प्रस्तुत करने व डॉ. कप्तानसिंह द्वारा स्वयं का 50,000 रुपये का मुचलका पेश किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 में यह भी निर्देशित किया गया कि 05 जमानती 20-20 लाख की 05 जमानत प्रस्तुत करेंगे। यह भी आदेशित किया गया कि प्रत्येक जमानती द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के साथ डी.एल.सी. दर की प्रति के साथ सम्पत्ति का मूल्यांकन सब रजिस्ट्रार से प्रमाणित करवाया जाकर प्रस्तुत करना होगा। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस आदेश के लगातार में ही कम्प्युटर प्रिंटेड आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि, "डॉ. कप्तान सिंह द्वारा उपरोक्तानुसार जमानत प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने का निर्णय किया जाता है।"

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) भरतपुर का आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अतः इस आदेश को भी आयोग के आदेश में यथावत उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 निम्न प्रकार से है :-

<p>तारीख हुकम</p>	<p>फर्द अहकाम अज अदालत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) मुकाम भरतपुर सरकार बनाम डॉ. कप्तान सिंह किस्म मुकद्मा 107, 116 (3), 151 दं.प्र.सं. नं. 529 सन् 2017</p> <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुआ</p>
<p>16.12.17</p>	<p>आज दिनांक 16.12.2017 को थाना अधिकारी, थाना मथुरा गेट, जिला भरतपुर द्वारा एक इस्तगासा अंतर्गत धारा 107, 116 (3), 151 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया।</p> <p>इस्तगासे में अंकित तथ्यों के अनुसार निवेदन किया गया है कि दिनांक 16.12.2017 को गोपनीय सूचना मिली की डॉक्टर कप्तान सिंह काली माई बगीची के पास रहता है, जो चिकित्सकों की हड़ताल के संबंध में अपने निवास पर योजना बना रहे हैं एवं राजकीय चिकित्सा व्यवस्था को ठप करने की किसी से बातें कर रहे हैं क्योंकि पूर्व में भी राजकीय ऐसे निर्णय से राजकीय चिकित्सा व्यवस्था ठप होने एवं मरीजों को दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं चिकित्सकों द्वारा की गई हड़ताल के कारण आमजन एवं मरीजों के जीवन को गंभीर संकट उत्पन्न हो चुका है एवं हाल ही में डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान भी चिकित्सा व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय दृष्टिकोण से चिकित्सकों के किए गए स्थानांतरण को भी चिकित्सकों द्वारा बेवजह मुद्दा बनाया जा कर हड़ताल की योजना बनाई जा रही है।</p> <p>अतः समझाइश करना उचित एवं आवश्यक</p>	

समझते हुए हमराही जासा के साथ उक्त चिकित्सक के निवास पर पहुंचे। डॉक्टर कसान सिंह मोबाइल पर जोर-जोर से बातें करते दिखाई दिया, जिनको थानाधिकारी ने समझाया कि इस तरह के कार्य व्यवहार से आमजन में मरीजों के जीवन को गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है आप इस तरह हड़ताल कर चिकित्सा व्यवस्था ठप करने की योजना नहीं बनाएं और ना ही इस में सम्मिलित होने ना ऐसी किसी भी कार्य के लिए किसी अन्य चिकित्सक को दूष्रेरित करें लेकिन चिकित्सक कसान सिंह द्वारा बार-बार इसी बात को दोहराते रहे कि हमने जो ठान लिया है उसको करके ही रहेंगे एवं सारी व्यवस्था ठप करेंगे।

डॉक्टर कसान सिंह द्वारा जोर-जोर से बोला जा रहा था कि अभी हम दो-चार डॉक्टरों को एकत्रित कर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को ठप कर देंगे। बावजूद समझाइश उक्त डाक्टर द्वारा यही धमकी दी जा रही थी। उनका यह कृत्य अंतर्गत धारा 151 जा. फौ. की श्रेणी में आता है। जिस पर डॉक्टर कसान सिंह पुत्र हरभान सिंह उम्र 37 साल जाति जाट निवासी काली माई की बगीची के पास भरतपुर को गिरफ्तार किया गया। चिकित्सक द्वारा पद पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया।

थाना अधिकारी द्वारा इस्तगासा अंतर्गत धारा 107, 116 (3), 151 सीआरपीसी पेश कर निवेदन किया कि गैर सायल को भारी जमानत मुचलका से पाबंद फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण में इस्तगासा का अध्ययन किया गया गैर सायल की ओर से श्री ताराचंद शर्मा एडवोकेट श्री मोहन स्वरूप शर्मा एडवोकेट एवं श्री भूपेंद्र शर्मा एडवोकेट भरतपुर उपस्थित हुए।

दोनों पक्षों को सुना गया।

डॉक्टर कसान सिंह के बयान लिखे जाकर शामिल पत्रावली किए गए।

धारा 107 CRPC के अनुसार :-

107 - Security for keeping the peace in other cases -
(1) When an Executive Magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the

peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such period, not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit-

(2) proceedings under this section may be taken before any Executive Magistrate when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace for disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction-

धारा 116 (3) CRPC के अनुसार

(3) After the commencement, and before the completion, of the enquiry under subsection (1), the magistrate, if he considers that immediate measures are necessary for the prevention of a breach of the peace or disturbance of the public tranquility or the commission of any offence or for the public safety, may for reasons to be recorded in writing, direct the person in respect of Whom the order under Section 111 has been made to execute a bond, with or without sureties, for keeping the peace or maintaining good behaviour until the conclusion of the enquiry, and may detain him in custody until such bond is executed or, in default of execution, until the enquiry is concluded :

Provided that :-

(a) no person against whom proceedings are not being taken under section 108, section 109, or section 110 shall be directed to execute a bond for maintaining good behaviour.

(b) the conditions of such bond, whether as to amount there of or as to the provision of sureties or the number thereof or the pecuniary extend of their liability, shall not be more concurs than those specified in the order under section 111.

धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का प्रावधान है।

प्रकरण में भली-भांति विचार करने के उपरांत मैं थाना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों से सहमत हूं और डॉक्टर कसान सिंह को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 (3) के प्रकाश में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखे जाने के लिए नियंत्रित कराया जाना अति आवश्यक है।

डॉक्टर कप्तान सिंह के बयान लिए गए जिसके अनुसार डॉक्टर कप्तान सिंह द्वारा अपनी मेडिकल की पढाई राजकीय मेडिकल कॉलेज से की गई है।

उन्होंने अपने बयानों में यह भी अवगत कराया है कि दिनांक 6 नवंबर, 2017 से 12 नवंबर, 2017 तक हड़ताल की अवधि के दौरान वह हड़ताल में शामिल रहे हैं।

बयानों में स्वयं ने यह भी अवगत कराया है कि मैं मरीजों को भगवान भरोसे छोड़कर हड़ताल पर जाने के पक्ष में नहीं हूँ।

यद्यपि अपने बयानों में यह कहा कि भविष्य में होने वाली हड़ताल में मैं शामिल नहीं होना चाहता हूँ। किंतु अपने बयानों में हड़ताल में शामिल होने की स्वीकारोक्ति से थाना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की पुष्टि होती है। राज्य सरकार द्वारा इनको चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने में अत्यधिक धनराशि खर्च की जाती है। उक्त धनराशि जनता पर खर्च किए जाने वाले पैसों में कटौती करके यह सोचकर चिकित्सा शिक्षा पर खर्च की जाती है कि उक्त शिक्षा के उपरांत तैयार होने वाले चिकित्सक मरीजों (आमजन) की सेवा करेंगे। थाना अधिकारी द्वारा पेश किए गए इस्तगामे के उपरांत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से दूरभाष पर जानकारी ली गई कि प्रतिदिन अस्पताल का आउटडोर कितना है उनके द्वारा दूरभाष पर ही अवगत कराया गया कि प्रतिदिन जनाना अस्पताल और आरबीएम अस्पताल का लगभग 2000 का आउटडोर है अर्थात प्रतिदिन 2000 मरीज इलाज के लिए आते हैं यदि हड़ताल को बढ़ावा मिलता है तो अस्पताल के समस्त चिकित्सक भी हड़ताल पर जा सकते हैं। बल्कि गत हड़ताल अवधि के दौरान गए भी हैं यदि बार-बार हड़ताल होने की स्थिति आती है तो इतनी संख्या में मरीज सड़क पर आ सकते हैं और उनके परिजनों सहित मरीजों के सड़क पर आने से निश्चित रूप से शांति भंग हो सकती है कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका कानून बनाती है कार्यपालिका लागू करती है एवं न्यायपालिका द्वारा कानून की पालना कराए जाने हेतु परीक्षण किया

जाता है तथा नजर रखी जाती है।

राज्य सरकार द्वारा चिकित्सकों के संबंध में विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के तहत समस्त परिलाभ सुनिश्चित किए जाते हैं। समस्त चिकित्सकों द्वारा संघ बनाकर समस्त मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ कर इकट्ठे होकर सरकार पर दबाव बनाकर विधानसभा के बाहर अधिक परिलाभ दिए जाने हेतु कानून बनवाने का प्रयास संविधान विरोधी तो है ही, बल्कि बार-बार ऐसे प्रयास से जनता द्वारा परेशान होकर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की स्थिति उत्पन्न होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मैं यह उचित समझता हूं कि डॉक्टर कसान सिंह को अपने पेशे के प्रति नियंत्रित किया जाना आवश्यक है ताकि वह राज्य सरकार के नियमों की पूर्णतया पालना करते हुए जनता को अपनी सेवा प्रदान करें, हडताल के लिए किसी को उकसायें नहीं व स्वयं हडताल में शामिल नहीं हो बल्कि राजकीय सेवा में अपने कर्तव्यों का इस प्रकार पालन करें कि आमजन में आक्रोश उत्पन्न नहीं हो एवं शांति भंग नहीं हो। उपरोक्त पालना आगामी 1 वर्ष तक के लिए डॉक्टर कसान सिंह से करवाई जाने के कारण उन्हें जमानती द्वारा नियंत्रित करवाया जाना आवश्यक है। मैं यह उचित समझता हूं कि श्री कसान सिंह द्वारा कुल 7 जमानती पेश किए जाएं जिनमें से 2 राजकीय कर्मचारी 50 पचास हजार की जमानत प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर कसान सिंह द्वारा स्वयं का 50 हजार का मुचलका भी पेश किया जावे एवं पांच जमानती 20-20 लाख की पांच जमानत प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक जमानती द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के साथ डीएलसी दर की प्रति के साथ संपत्ति का मूल्यांकन सब रजिस्ट्रार से प्रमाणित करवाया जाकर प्रस्तुत करना होगा। डॉक्टर कसान सिंह को निर्णय सुनाया गया। डॉक्टर कसान सिंह द्वारा उपरोक्त अनुसार जमानत प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने का निर्णय किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 22 दिसंबर 2017 को प्रस्तुत हो।

अति. जिला मजिस्ट्रेट
(शहर) भरतपुर

चूंकि डॉ. कप्तानसिंह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 के बाद स्वयं के जमानत-मुचलके प्रस्तुत नहीं कर पाये, इस कारण से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया।

डॉ. कप्तानसिंह द्वारा उपर्युक्त आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 को सेशन न्यायाधीश, भरतपुर के न्यायालय में आपराधिक निगरानी याचिका संख्या 327/2017 द्वारा चुनौती गई। माननीय सत्र न्यायालय, भरतपुर द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 में टिप्पणी की गई कि :-

"तथ्यों और परिस्थितियों में प्रथम दृष्ट्या ही प्रकट है कि बिना कोई जांच किए एवं बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये आक्षेपित आदेश के द्वारा इतनी कठोर शर्तें अंतरिम जमानत हेतु अधिरोपित कर दी गई है जिनकी तत्काल पालना करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो प्रकट होता है की मात्र निगरानीकर्ता को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने हेतु ही इस प्रकार की कठोर शर्तें अंतरिम जमानत हेतु लगाई गई है और पूर्ति नहीं होने पर निगरानीकर्ता को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अधिक विवेचन इस प्रक्रम पर उचित नहीं है।"

माननीय सत्र न्यायालय, भरतपुर ने परिवादी डॉ. कप्तानसिंह द्वारा राशि रूपये 01.00 लाख की जमानत व इसी राशि का बन्धपत्र प्रस्तुत किये जाने पर डॉ. कप्तानसिंह को तत्काल रिहा करने के आदेश कर दिये।

प्रतीत होता है कि माननीय सत्र न्यायाधीश, भरतपुर के आदेश की पालना में दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को परिवादी डॉ. कप्तानसिंह को रिहा किया गया।

डॉ. कप्तानसिंह के समान ही दो और डॉक्टर्स को समान प्रकार से धारा 107, 116 (3), 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में गिरफ्तार किया गया था। माननीय सत्र न्यायालय, भरतपुर के समक्ष डॉ. कप्तानसिंह द्वारा दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 327/2017 तथा अन्य डॉक्टर श्री मनीष गोयल द्वारा दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 328/2017 एवं डॉक्टर मुकेश कुमार वशिष्ठ द्वारा दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 329/2017 समान प्रावधान में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 327/2017, 328/2017 एवं 329/2017 द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 को चुनौती देने पर माननीय सत्र न्यायालय, भरतपुर द्वारा उक्त तीनों निगरानी याचिकाएं स्वीकार कर पूर्व में अन्तरिम आदेश से डॉक्टर्स को रिहा किया गया व बाद में विस्तृत आदेश दिनांक 31 मई, 2018 से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 को अपास्त कर दिया गया।

आयोग द्वारा इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लेते समय मात्र डॉ. कप्तानसिंह से सम्बन्धित घटनाओं के तथ्यों के आधार पर आदेश दिनांक 03 जनवरी,

2018 से प्रसंज्ञान लिया गया था, परन्तु माननीय सत्र न्यायालय, भरतपुर के उपर्युक्त विस्तृत आदेश दिनांक 31 मई, 2018 से यह प्रमाणित है कि डॉ. कप्तानसिंह के समान ही डॉ. मनीष गोयल तथा डॉ. मुकेश कुमार वशिष्ठ को धारा 107, 116 (3) व 151 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत हिरासत में किया गया। अतः आयोग इन डॉक्टर्स के अनुतोष के लिए भी यह आदेश पारित कर रहा है।

जिला कलक्टर, भरतपुर को डॉ. कप्तान सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा, धारा 107, 116 (3) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 सम्बन्धी तमाम दस्तावेजात् व बयानों की प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा उपर्युक्त इस्तगासा की प्रतिलिपि, डॉ. कप्तान सिंह की फर्द गिरफ्तारी, रोजनामचा आम विवरण, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर द्वारा डॉ. कप्तान सिंह के लिये गये बयान की प्रतिलिपि तथा आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 की प्रतिलिपि आयोग को उपलब्ध कराई गई।

डॉ. कप्तान सिंह द्वारा मेल दिनांक 10 फरवरी, 2018 से अपना संक्षिप्त पक्ष व सम्बन्धित दस्तावेजात् की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई।

डॉ. कप्तान सिंह की ओर से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली में शिकायत प्रस्तुत करने पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रकरण संख्या 171/20/8/2018/OC/M-2 दर्ज किया जाकर निस्तारण करने हेतु राज्य आयोग को पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2018 से प्रेषित किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त धारा 107, 116 (3) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में डॉ. कप्तान सिंह, चि.अ., आर.बी.एम. अस्पताल, भरतपुर व अन्य 04 डॉक्टर्स, (1) डॉ. रामविलास गुर्जर, व.वि. सर्जरी, सामान्य चिकित्सालय, धौलपुर, (2) डॉ. मनीष गोयल, चि.अ. आर. बी.एम. अस्पताल, भरतपुर, (3) डॉ. मुकेश कुमार, चि.अ. सैटेलाइट अस्पताल अटलबन्द, भरतपुर व (4) डॉ. पवन सैनी, चि.अ., राजकीय चिकित्सालय, श्री गंगानगर, को डॉक्टर्स की हडताल के दौरान क्रमशः दिनांक 15.12.2017 से 17.12.2017, 15.12.2017 से 17.12.2017, 16.12.2017 से 18.12.2017, 15.12.2017 से 17.12.2017 व 12.12.2017 से 18.12.2017 तक, अर्थात् 48 घण्टे से अधिक हिरासत में रहने के कारण से सी.सी.ए. नियम-1958 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2018 से निलम्बित भी किया गया। परन्तु आयोग के समक्ष तीन प्रकरणों, (1) डॉ. कप्तानसिंह (2) डॉ. मनीष गोयल व (3) डॉ. मुकेश कुमार वशिष्ठ के तथ्य सत्र न्यायालय, भरतपुर के निर्णय में उपलब्ध हैं। अतः अन्य दो डॉक्टर्स के प्रकरणों के तथ्य नहीं होने से उन दो प्रकरण में यह आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

धारा 107,116 (3) व 151 दं.प्र.सं. का भारत में आपातकाल (emergency) के समय भरपूर दुरुपयोग किया गया और मानव अधिकारों का लगातार हनन किया गया। एक-एक राज्य में हजारों व्यक्तियों पर इन धाराओं का दुरुपयोग कर जेलों में डाला गया और

मानव अधिकारों का गम्भीर हनन किया गया। आपालकाल के समय में भी लगभग ऐसे सभी प्रकरणों में, ऐसे मानव अधिकारों का हनन करने वाले आदेशों को यथाशीघ्र आपास्त किया गया। उक्त काल भारत के इतिहास का एक विशिष्ट काल था और उस काल में हुई गलतियों से कई शिक्षाएँ भी प्राप्त हुई, परन्तु इन प्रकरणों के तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रशासन एवं राज्य किसी प्रकार की गलती को सुधारना तो दूर, सुधार करने के विषय पर विचार करने को भी तैयार नहीं है।

इस प्रकरण के कुछ तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं जो इन तीन डॉक्टर्स के प्रकरणों के अविवादित तथ्य हैं तथा माननीय न्यायालय के निर्णय से अन्तिम रूप से निर्णित भी हैं। इनसे स्पष्ट है कि धारा 107, 116 (3) व 151 दं.प्र.सं. के प्रावधान मानव अधिकारों के हनन के लिये कई दशकों से काम में लिये जाने के पश्चात भी राज्य सरकार इस प्रकार से मानव अधिकारों के हनन करने के न्यायिक अधिकार पुलिस को ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिये गये हैं, जिनसे आम जनता की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। राज्य सरकार ऐसे मानव अधिकारों के हनन को जारी रखना चाहती है और विशेष बात यह है कि ऐसे मानव अधिकार हनन क्यों जारी रहने चाहिये, इसके संबंध में एक भी तर्क राज्य सरकार के पास में नहीं है।

उपर्युक्त तीन डॉक्टर्स के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा तथ्यों पर विचार कर ये निष्कर्ष दिये है :-

1. संबंधित थाना पुलिस द्वारा इन चिकित्सकों को घर से बाहर लाया गया और पुलिसकर्मियों के अनुसार, पुलिसकर्मियों द्वारा इन चिकित्सकों को आगाह किया गया कि आप पहले भी हडताल कर चुके हैं और अब भी आप लोगों ने हडताल की घोषणा की है, इस पर उक्त चिकित्सक आवेश में आ गये और जोर-जोर से बोलने लगे और मात्र जोर-जोर से बोलने की शांति भंग की इस आशंका मात्र से चिकित्सकों को गिरफ्तार कर लिया गया।
2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर की पत्रावली से यह प्रमाणित है कि थानाधिकारी राजकीय चिकित्सक के घर रात को 12 बजे पहुंचे और डॉक्टर को घर से बाहर ले आये। माननीय सत्र न्यायाधीश की टिप्पणी है कि, क्या घर के अन्दर सोया हुआ व्यक्ति, जो सरकारी डॉक्टर है, वह घर के अन्दर से शांति भंग करेगा।
3. माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अंकित किया गया कि, ये सभी राजकीय चिकित्सक हैं और लोकसेवक हैं जिनके फरार होने का कोई अंदेशा नहीं था, तब उन्हें सामान्य जमानत-मुचलके के बजाय एक करोड़ रुपये की जमानत पेश करने का आदेश, बिना मस्तिक का उपयोग किये व बिना जांच किये पारित आदेश है।
4. माननीय सत्र न्यायाधीश के निर्णय अनुसार जमानत की इन शर्तों की पूर्ति किया जाना सम्भव ही नहीं था।

5. माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि, इसका एक मात्र उद्देश्य निगरानीकर्ताओं को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का रहा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन करने का यह स्पष्ट उदाहरण है।
6. माननीय सत्र न्यायालय की यह टिप्पणी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि, इससे पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं हो रहा है, न निगरानी कर्ता आंतकवादी या डकैत है, न कोई हिस्ट्रीशीटर है, बल्कि राजकीय सेवा में एक जिम्मेदार पद पर है, इसके बावजूद भी बिना विधि की प्रक्रिया की पालना किये ऐसे कठोर आदेश देना और पालना न होने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेज देना उनका आशय प्रकट करता है।
7. माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायिक दृष्टान्त अरुरसिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1984 सी.आर.एल.जे. 1616, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय मधु लिमये बनाम वेदमूर्ति ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 2481 जैसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों व इसके अलावा अन्य कई निर्णयों तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार कर यह निर्णय दिया कि, गिरफ्तारी की शक्ति होना पृथक बात है और न्यायिक रूप से गिरफ्तारी उचित है, यह पृथक तथ्य है। किसी को गिरफ्तार करने पर ऐसी गिरफ्तारी न्यायोचित होनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को

गिरफ्तार करने से उस व्यक्ति की प्रतिष्ठ व गरिमा पर आघात पहुंचता है।

8. माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश विधि और तथ्यों के अनुकूल नहीं है, बल्कि इस्तगासा पेश करने की कार्यवाही और पारित किया गया आक्षेपित आदेश, दोनों ही, विधिक प्रावधानों के बिलकुल विपरीत और निगरानीकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात करने वाले प्रकट हुए हैं।

इस प्रकार से ऊपर वर्णित डॉक्टर्स के मानव अधिकारों का हनन करने की नियत से दुर्भावनापूर्वक माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों के विरुद्ध, इन डॉक्टर्स के मानवाधिकारों का हनन करने के लिये व डॉक्टर्स की स्वतंत्रता छीनने के लिये धारा 107, 116(3) व 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। आयोग यहां पर उल्लेखित करना चाहेगा कि, इस प्रकार के कृत्यों से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दी गई गारन्टी तथा अनुच्छेद 21 में प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने के निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, धारा 107, 116(3) व 151 द.प्र.सं. के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है।

विधिक प्रावधानों के दुरुपयोग के दोषी प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना एक तरफ है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा मानव अधिकार हनन का समर्थन किया जा रहा है, यह अत्यन्त खेदजनक है और ऐसे मानव अधिकार हनन होते रहने की पूरी अनुमति राज्य सरकार द्वारा जारी रखने का निर्णय लिया जाना और भी ज्यादा कष्टप्रद है। यहां पर राज्य सरकार द्वारा आयोग में प्रस्तुत किये गये पत्र दिनांक 07 जून, 2018 के उस भाग का उल्लेख किया जा रहा है जिसमें राज्य सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि राज्य सरकार की जानकारी में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित है कि :-

"Bail is the Rule and Jail is the Exception Generally grant is to be considered because it is in furtherance of liberty of the individual guaranteed under article 21, Constitution of India. However in certain circumstances such as seriousness of the offence alleged, habituality in criminality tendency of abscondence etc., bail will be refused. "

इस विधि की स्थिति व आपातकाल के पूर्व व आपातकाल के पश्चात लगातार धारा 107, 116 (3), 151 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों से पुलिस, प्रशासन व सरकार द्वारा मानव अधिकार हनन के तथ्यों को स्वीकार करने के पश्चात भी, राज्य सरकार का कुल जवाब यह है :-

"जमानत राशि युक्ति-युक्त होनी चाहिए ताकि जमानत राशि पेश की जा सके। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जमानत स्वीकार किए जाने के वक्त युक्ति-युक्त राशि के जमानत मुचलके मांगने चाहिए। राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का विचार नहीं रखती है। "

राज्य सरकार को आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि, राज्य आयोग भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107, 116 (3), 151 इत्यादि के प्रावधानों से होने वाले मानव अधिकारों के हनन के प्रकरणों पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (डी) के तहत विचार कर इन प्रावधानों में संशोधन की अनुशंसा करने का विचार रखता है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा विषय के अनुसन्धान (Research) में सहयोग करने के स्थान पर आयोग के आदेश दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अंकित कर स्वयं के जवाब को विस्तृत बनाने की चेष्टा की गई है, अन्यथा राज्य सरकार द्वारा न तो तथ्यों पर अपना पक्ष रखा गया, न माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि की व्यवस्था पर एक भी शब्द अंकित किया गया है और यह भी स्वीकार किया गया है कि, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पूरी तरह से गलत आदेश पारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आयोग के अनुसन्धान (Research) में सहयोग देने के स्थान पर पूर्णतया स्वेच्छाचारिता व निरंकुश निर्णय से आयोग को अवगत कराया गया कि,

राज्य सरकार भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का विचार नहीं रखती है।

अर्थात् राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पत्र से राज्य आयोग के समक्ष मात्र यह निष्कर्ष लिये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है कि, धारा 107, 116 (3) व 151 दं.प्र.सं. के प्रावधानों पर कई दशकों से, जब चाहे तब, दुरुपयोग कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लंघन करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध व्यक्ति की अभिव्यक्ति व स्वतन्त्रता का हनन किया जाता है, तब राज्य सरकार इस हनन को रोकने में, बिना किसी कारण बताये व बिना किसी आधार के अंग्रेजों के जमाने में जन आंदोलन को कुचलने के लिए बनाये गये कानून को जारी रखना चाहती है, ताकि हर समय, हर सत्ता व हर सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य की पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी बिना किसी रोक व बिना किसी हिचक के स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव अधिकारों का हनन कर सके।

चूंकि इस प्रकरण में ये तथ्ये प्रकट हैं कि तीनों डॉक्टर्स जो राजकीय सेवा में थे, जो आतंककारी अथवा दुर्दात अपराधी होना तो दूर उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तक नहीं पाया गया और जिन डॉक्टर्स के फरार होने का कोई अंदेशा नहीं था, जो क्षेत्र के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, आयोग में प्रस्तुत विडियो (डॉ. कप्तानसिंह) से स्पष्ट है तथा जिन डॉक्टर्स को पुलिस

द्वारा हिरासत में लेते समय कोई प्रतिरोध तक नहीं किया जाना प्रतीत हो रहा है, ऐसे डॉक्टर्स को रात को 11 व 12 बजे गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कर जमानत पर नहीं किये जाने हेतु असम्भव शर्तों का जमानत आदेश पारित करवाना और इन गिरफ्तारियों के पश्चात इन डॉक्टर्स को गिरफ्तारी के आधार पर निलम्बित करना राज्य सरकार की दुर्भावना का प्रमाण है। अतः प्रत्येक डॉक्टर को जो तीन दिन हिरासत में रहे हैं, उन तीनों डॉक्टर्स को एक-एक लाख प्रतिदिन, अर्थात् राशि रूपये 03.00 लाख प्रति डॉक्टर (कुल राशि रूपये 09.00 लाख) राज्य सरकार से हर्जाना दिलाये जाने की अनुशंसा की जाती है।

डॉक्टर्स को दिलाये जाने वाली उपर्युक्त हर्जाना राशि राज्य सरकार पर आरोपित की गई है। अतः इस राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। यह भुगतान राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी विभागीय कार्यवाही पर निर्भर नहीं रहेगा।

ये हर्जाने की राशि फिलहाल मात्र मानव अधिकार हनन के कारण से प्रतीकात्मक (symbolic) मात्र है, जो न तो डॉक्टर्स मानहानि के लिए दिलाई जा रही है और न ही इन डॉक्टर्स की जो वास्तविक हानि हुई है उसकी पूर्ति के लिए हर्जाना है। डॉक्टर्स अन्य हर्जाना प्राप्त करने के लिए विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के विरुद्ध पद के दुपयोग करने व जानबूझ कर मानवाधिकार हनन

करने के गम्भीर प्रकरण में राज्य सरकार अपने स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने के लिए भी दोषी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 की अवहेलना में अभिव्यक्ति की स्वीकृति व व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई, राज्य सरकार द्वारा इसका भी कोई कारण अंकित नहीं किया गया है।

न्यायिक निर्णय में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भरतपुर के विरुद्ध की गई टिप्पणियों के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही की जावे, ताकि भविष्य में प्रशासन/सरकार से ऊपर कानून को मान्यता देने का संदेश तमाम कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स तक पहुंच सके।

इन डाक्टर्स के विरुद्ध गैर कानूनी रूप से धारा 107, 116 (3) व 151 दं.प्र.सं. के प्रकरण दर्ज कर बिना किसी साक्ष्य के मात्र उच्च अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों के आधार पर कानून का दुरुपयोग करने और व्यक्तियों के मानव अधिकारों का हनन करने के कारण से इस कार्यवाही के प्रभारी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही की जावे ताकि भविष्य में भी उच्चाधिकारियों के आदेशों से ऊपर, अपने आप को कानून का रक्षक साबित करने की सीख दी जा सके। इन पुलिस अधिकारियों द्वारा उच्चाधिकारियों और प्रशासन के आदेशों

की पालना में गैर कानूनी कार्यवाही की गई है यह तथ्य इस्तगासे से ही प्रमाणित है।

प्रकरण संख्या 529/17 की सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध कराई गई है। सम्पूर्ण पत्रावली से स्पष्ट है कि धारा 107, 116 (3) व 151 दं.प्र. सं. के तहत की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एक दिखावा/छलावा (colorable exercise of power व abuse of law) है। मात्र ये प्रकरण ही नहीं, ऐसे अन्य कई प्रकरणों में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की उपर्युक्त धाराओं के दुरुपयोग के मामले आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन नहीं करने के सुझाव को खारिज किया जाता है तथा राज्य सरकार से अनुशंषा की जाती है कि, बिना किसी देरी, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107, 116 (3), 111, 151 व जिन किन्हीं भी प्रावधानों में, जो भी आवश्यक हो, राज्य स्तरीय संशोधन किये जा सकते हों, तुरन्त युक्तियुक्त संशोधन कर मानव अधिकारों की रक्षा की जावे। आयोग यहां स्पष्ट करना चाहेगा कि आयोग किसी सरकारी आदेश अथवा परिपत्र जारी करने की अनुशंषा नहीं कर रहा है, क्योंकि आयोग के समक्ष आपराधिक प्रकरणों में जारी किये गये सरकारी परिपत्रों/आदेशों व निर्देशों को लगातार अनेकों प्रकरणों में नहीं माने जाने के उदाहरण प्रमाणिक रूप से उपलब्ध हैं। पुलिस अथवा प्रशासन के लिए मात्र प्रशासनिक आदेश से इस प्रकार के मानव अधिकार हनन को रोका जाना सम्भव नहीं है। अतः विधि में संशोधन किये जाने की ही अनुशंषा की जाती है।

यहां विशेष रूप से यह भी उल्लेखनीय है कि, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सन् 1993 में, अर्थात् 26 वर्ष पूर्व बनाया गया है तथा अधिनियम, 1993 की धारा 30 के अन्तर्गत देश में, अर्थात् राजस्थान राज्य में भी मानव अधिकार न्यायालय स्थापित करना, राज्य की जिम्मेदारी नियत की गई। राजस्थान राज्य में राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.2(1)/न्याय/2009, दिनांक 15 अप्रैल, 2013 से अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत "मानव अधिकार हनन" के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरणों में विचारण हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय, जयपुर (जिला) तथा जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर (जिला) को क्रमशः जयपुर व जोधपुर जिले की स्थानीय सीमाओं के लिए तथा अन्य शेष समस्त जिलों के समस्त जिला एवं सत्र न्यायालयों को अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिए मानव अधिकार न्यायालय घोषित किया गया है। यहां अत्यन्त खेदजनक स्थिति यह है कि 26 वर्ष पूर्व के अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत 20 वर्ष पश्चात मानव अधिकार न्यायालय स्थापित करने की घोषणा के बाद भी यह तक निर्धारित नहीं है कि मानव अधिकार हनन के ऐसे कौनसे प्रकरण होंगे जिनमें राज्य के विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण किया जायेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.8(1)/राज.(1)/09 दिनांक 05 मार्च, 2014 द्वारा इन समस्त न्यायालयों के लिए मानव अधिकार हनन के विशेष अभियोगों की पैरवी हेतु 33 विशिष्ट लोक अभियोजकों की

नियुक्ति भी कर दी गई। जैसा कि ऊपर अंकित किया गया है कि राज्य में विशेष न्यायालय भी गत 06 वर्ष से हैं और मानव अधिकार हनन के सैशन्स न्यायाधीशों द्वारा विचारण करने में सहयोग करने के लिए राज्य में 33 विशिष्ट लोक अभियोजकों के होते हुए सरकारी सेवाओं में सेवार्त डॉक्टर्स के मानव अधिकार हनन के अभियोग आरोपियों के विरुद्ध दर्ज नहीं कराये जा सकते हैं, क्योंकि अधिनियम, 1993 के 26 वर्ष पश्चात तथा राज्य में विशेष न्यायालयों की स्थापना के 06 वर्ष बाद भी मानव अधिकार हनन के अभियोग चिह्नित नहीं हैं। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है जो राजस्थान सरकार के लिए ही नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार की जानकारी में भी राज्य सरकार द्वारा लाई जानी चाहिए तथा तत्काल मानव अधिकार हनन के प्रकरणों को चिह्नित किया जाना चाहिए जिससे कि ऐसे अभियोगों में धारा 30, अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित विशिष्ट न्यायालयों द्वारा विचारण किया जा सके।

प्रकरण इन अनुशंषाओं के साथ समाप्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टटिया)

अध्यक्ष